

Mobile court

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998
IN THE COURT OF J.M.F.C. Gohad, DIST. BHIND (M.P.)

Case No. 187/17 ^{का का गुप्ता} Complaint or report made on

Name and address of the Complainant ^{नाथिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग} ^{सिद्ध गौड़}

Name, parentage, caste and address of accused

धर्मेन्द्र पुत्र लखमन सिंह लोम उम 30 साल नि. बनेता

The offence, complainant of, and date of, its alleged commission

आपने दिनांक 23.09.16 को समय लगभग 1:40 बजे, स्थान
गोलन तिराहा गौड़ अंतर्गत थाना 129/1 गौड़ में वाहन फ0
MP 30 MC 4218 को बिना ड्राइवर के चलाया और
इस प्रकार आपने ऐसा कृत्य किया है जो कि मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 129/177 M.V.A.
के तहत दण्डनीय अपराध है और इस
न्यायालय के संज्ञान में आता है।

क्या आपको उक्त अपराध स्वीकार है या प्रतिरक्षा चाहते हो।

Judicial Magistrate First Class

The plea of the accused and his examination (If any) Gohad dist. Bhind (M.P.)

अपराध स्वेच्छया स्वीकार है।

Judicial Magistrate First Class
Gohad dist. Bhind (M.P.)

The offence proved. If any and in case under clause(d) clause(f) clause(g) of sub section 260 the
value of the property in respect of which the offence has been committed.

// निर्णय //

(आज दिनांक 23.09.17 को घोषित)

01. आरोपी को स्वेच्छिक संस्वीकृति के आधार पर उसे मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 129/177 M.V Act के तहत दण्डनीय अपराध का दोषी पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है।
02. दण्ड के प्रश्न पर विचार किया गया। आरोपी के विरुद्ध अभिलेख पर कोई पूर्व दोषसिद्धि अभिलिखित नहीं है। अतः आरोपी की संस्वीकृति एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये आरोपी धर्मेन्द्र उम लक्ष्मण सिंह सोनू उमृ 30 लाल नि. खनेटा को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 129/177 M.V Act के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में सिद्ध दोष पाते हुए कमबः राशि रुपये कुल 1000/- रु० (1000/-) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।
03. अर्थदण्ड संदाय में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त को 10 दिवस की अवधि के साधारण कारावास से भुगताया जावे।
04. जप्तबुदा सम्पत्ति वाहन क्र० MP 30 MC 498 को उसके पंजीकृत स्वामी को लौटाया जाये।

मेरे निर्देशन पर दंकित

Judicial Magistrate First Class
Gondal dist. Bhilai (M.P.)